

पु 2011

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्यालय आदेश

का0आ0 सं0-5/अ0प्र0-01-03/2022 272

/पटना, दिनांक-21.5.25

वित्त विभाग के संकल्प सं0-8043 दिनांक-11.10.2017 में सन्निहित प्रावधान के आलोक निम्नांकित सहायक अभियंताओं को प्रभार ग्रहण करने की तिथि से अनुमान्य परिवहन भत्ता की स्वीकृति दी जाती है:-

क्रमांक	सहायक अभियंता का नाम	पदस्थापन स्थान	योगदान/ प्रभार ग्रहण करने की तिथि	अनुमान्य परिवहन भत्ता
1	2	3	4	5
1	श्री विकास कुमार	मुख्य अभियंता-1, पटना का कार्यालय	08.07.2024 पूर्वाह्न	3000/- + DA
2	श्री संतोष कुमार	अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव का कार्यालय	18.02.2025 पूर्वाह्न	3000/- + DA

2. यह भत्ता अवकाश/प्रशिक्षण/भ्रमण आदि के कारण लगातार 30 दिनों से अधिक समय तक कर्तव्य से अनुपस्थित रहने की स्थिति में देय नहीं होगा।

3. इन्हें आवास से कार्यालय आने-जाने के लिए सरकारी वाहन उपलब्ध कराये जाने की स्थिति में यह भत्ता देय नहीं होगा।

4. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

(कुमार अनिल सिन्हा)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-5/अ0प्र0-01-03/2022

/पटना, दिनांक

प्रतिलिपि:-महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/अवर सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, निर्माण भवन, बेली रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:-5/अ0प्र0-01-03/2022 5402

/पटना, दिनांक-

21.5.25

प्रतिलिपि:-अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव/मुख्य अभियंता-1, पटना, ग्रामीण कार्य विभाग/संबंधित सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/आई0 टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

9

office order Priya